आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा
श्री भागीरथ मल बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आअ.सं. 102/इंदौर/2015
निर्धारण वर्ष : 2010-11
तथा
आ.अ.सं. 566/इंदौर/2016
निर्धारण वर्ष : 2009-10

मे. एलिक्सियर इन्फ्रास्ट्रक्चर, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी 3(1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीएफई 9619 ए		

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री श्रेया जैन, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभा. प्रति.
सुनवाई तिथि	24.08.2022
उद्घोषणा तिथि	30.08.2022

आदेश

श्री भागीरथ मल बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा 2009-10 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, भोपाल के आदेश दिनांक 10.11.2014 तथा 29.03.2016 के विरूद्ध निदेशित हैं, जो कि आयकर अधिकारी-3(1), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेशों क्रमशः दिनांक 28.03.2013 तथा 26.12.2011 से उद्भूत है ।

2. इन अपीलों के संबंध में, निर्धारिती ने आवेदन दिनांक 22.08.2022 दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने “विवाद से विश्वास योजना” में आवेदन

किया है तथा विभाग द्वारा दोनों वर्षों के लिए फार्म सं. 5 जारी किया गया है । आवेदन के साथ विभाग द्वारा निर्धारिती को जारी फार्म सं. 5 की प्रतियां भी दाखिल की गई हैं । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि “विवाद से विश्वास योजना,2020” हेतु विरचित नियमों के अनुसार, वर्तमान अपीलों को वापिस लेना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं । तदनुसार निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि राजस्व द्वारा संबंधित निर्धारिती को इस योजना का लाभ किसी भी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 30.08.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(सुचित्रा आर. कांबले)	(भागीरथ मल बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 30.08.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल